

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
संख्या-03/बजट-01-08/2026/.....85...../आ0प्र0

सेवा में,
महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक- 06.07.2026

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अंतर्गत कुल रु० 670.445 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख चौवालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान, माँग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010016 के विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है : -

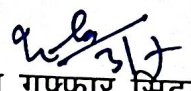
(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	अरवल	60.00	80.00	140.00
2	सिवान	60.00	100.000	160.00
3	नालन्दा	160.00	100.000	260.00
4	शेखपुरा	60.00	100.000	160.00
5	खगड़िया	160.00	6.070	166.07
6	पटना	368.950	200.375	569.325
7	कैमूर	126.570	84.000	210.57
कुल योग		995.52	670.445	1665.965

4. उक्त राशि से जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1104 दिनांक-25.06.2026, कैमूर के ज्ञापांक-759 दिनांक-19.06.2026, सिवान के पत्रांक-525 दिनांक-25.06.2026, नालन्दा के पत्रांक-741 दिनांक-16.06.2026, अरवल के पत्रांक-242 दिनांक-18.06.2026, शेखपुरा के पत्रांक-466 दिनांक-20.06.2026 एवं खगड़िया के पत्रांक-511 दिनांक-19.06.2026 के द्वारा स्थानीय प्रकृति की आपदाओं हेतु की गई अधियाचना तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-1418/आ0प्र0 दिनांक-17.04.2015, 1891/आ0प्र0 दिनांक-16.07.2018, 320/आ0प्र0 दिनांक-01.02.2019, 3832/आ0प्र0 दिनांक-27.09.2021, 1213/आ0प्र0 दिनांक-24.03.2022, 1188/आ0प्र0 दिनांक-24.04.2026 एवं

1189/आ०प्र० दिनांक-24.04.2026 के आलोक में राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं हेतु व्यय किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि० (2), दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मो० नदीमुल गप्फार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-08/2026/.....85/आ०प्र०, पटना-23 दिनांक-06-07-26
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, अरवल, सिवान, नालन्दा, शेखपुरा, खगड़िया, पटना एवं कैमूर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ASU


संयुक्त सचिव